©

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय

सत्यमेव जयते

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 3)

[1 जुलाई, 1989 को यथाविद्यमान]

The University Grants Commission Act, 1956

(ACT NO. 3 OF 1956)

[*As on the 1st July, 1989*]

1989

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बतूर द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशक-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित ।

मूल्यः (देश में) रु० 3.25 या (विदेश में) £ 0.38 या $ 1.17

PREFACE

This is a diglot edition of the University Grants Commission Act, 1956 as on the 1st July, 1989, containing the authoritative Hindi text thereof along with its English Text. The Hindi text of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section IA, No. 139, Vol. XII, dated the 22nd December, 1976 on pages 883 to 891.

This text of the Act was prepared by the Official Languages Wing and it was published under the authority of the President under Section 5(*1*) of the Official Languages Act, 1963, and on such publication, it became the authoritative text in Hindi.

B. K. SHARMA,

Additional Secretary to the Government of India.

NEW DELHI;
1ST JULY, 1989

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 3) [1 जुलाई, 1989 को यथाविद्यमान] के द्विभाषीय संस्करण का शुद्धिपत्र

Corrigenda of the diglot edition of the University Grants Commission Act, 1956 (Act No. 3 of 1956) [As on the 1st July, 1989]

पृष्ठ/ Page	धारा/ Section	पंक्ति/ Line	के स्थान पर/ for	पढ़ें/ Read
2	5(3)(ग)(iii)	1	कुलपित	कुलपति
4	8 (शीर्ष)	1	सदस्यों म	सदस्यों में
5	Foot Note-2	1	, bid.	, ibid.
6	12क(1)(क)	1	सहबद्ध करना"	"सहबद्ध करना"
6	12(2)(ग)	2	सुनिचित	सुनिश्चित
8	पाद-टिप्पण - 2	2	पुनसख्यांकित	पुनर्संख्यांकित
9	16(3)	1	thi-	this
9	16(3)	2	Commissio	Commission.
11	26(1)(झ)	1	फीसों	फीसें
11	पाद-टिप्पण-2	1	अंन्त:स्थापित।	अंत:स्थापित।

प्राक्कथन

यह 1 जुलाई, 1989 को यथाविद्यमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी पाठ, उसके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 22 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 139, खंड XII में पृष्ठ 883 से 891 में प्रकाशित हुआ था।

इस अधिनियम का हिन्दी पाठ राजभाषा खंड ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होने पर, अब यह हिन्दी में प्राधिकृत पाठ है।

नई दिल्ली :

1 जुलाई, 1989

ब्रजकिशोर शर्मा,

अपर सचिव, भारत सरकार।

LIST OF AMENDING ACTS

1. The Pondicherry (Extension of Laws) Act, 1968 (26 of 1968).
2. The University Grants Commission (Amendment) Act, 1970 (27 of 1970).
3. The University Grants Commission (Amendment) Act, 1972 (33 of 1972).
4. The University Grants Commission (Amendment) Act, 1984 (59 of 1984).
5. The University Grants Commission (Amendment) Act, 1985 (70 of 1985).

LIST OF ABBREVIATIONS USED

Ins.	*for* Inserted.
P.	,, Page.
Pt.	,, Part.
S.	,, Section.
Sch.	,, Schedule.
Sec.	,, Section.
Subs.	,, Substituted.
w.e.f.	,, with effect from.

संशोधन अधिनियमों की सूची

1. पांडिचेरी (विधि विस्तारण) अधिनियम, 1968 (1968 का 26)।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1970 (1970 का 27)।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 33)।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 59)।
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1985 का 70)।

संक्षेपाक्षर

सं० . . . . संख्यांक (नम्बर)।

THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ACT, 1956

ARRANGEMENT OF SECTIONS

CHAPTER I

PRELIMINARY

SECTIONS

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Application of Act to institutions for higher studies other than Universities.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

4. Establishment of the Commission.
5. Composition of the Commission.
6. Terms and conditions of service of members.
7. Meetings of the Commission.
8. Vacancies amongst members or defect in constitution not to invalidate acts or proceedings of the Commission.
9. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes.
10. Staff of the Commission.
11. Authentication of orders and other instruments of the Commission.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

12. Functions of the Commission.

12A. Regulation of Fees and Prohibition of Donation in certain cases.

12B. Prohibition regarding giving of any grant to a University not declared by the Commission fit to receive such grant.

13. Inspection.
14. Consequences of failure of Universities to comply with recommendations of the Commission.
15. Payment to the Commission.
16. Fund of the Commission.
17. Budget.
18. Annual report.
19. Account and audit.

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956

धाराओं का क्रम

धाराएं | अध्याय 1 | पृष्ठ

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1
2. परिभाषाएं 1
3. अधिनियम का विश्वविद्यालयों से भिन्न उच्च अध्ययन की संस्थाओं को लागू होना . 2

अध्याय 2

आयोग की स्थापना

4. आयोग की स्थापना 2
5. आयोग की संरचना 2
6. सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबन्धन 3
7. आयोग की बैठकें। 4
8. सदस्यों में रिक्तियों के या गठन में त्रुटि के कारण आयोग के कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। 4
9. विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना : 4
10. आयोग के कर्मचारिवृन्द 4
11. आयोग के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणित किया जाना 4

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां और कृत्य

12. आयोग के कृत्य 4
12क. फीसों का विनियमन और कुछ दशाओं में संदान का प्रतिषेध 6
12ख. ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाने के बारे में प्रतिषेध जिसे आयोग ने ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया 8
13. निरीक्षण 8
14. आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों के असफल रहने के परिणाम 8
15. आयोग को संदाय 8
16. आयोग की निधि 8
17. बजट 9
18. वार्षिक रिपोर्ट 9
19. लेखा और लेखापरीक्षा 9

SECTIONS

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. Directions by the Central Government.
21. Returns and information.
22. Right to confer degrees.
23. Prohibition of the use of the word "University" in certain cases.
24. Penalties.
25. Power to make rules.
26. Power to make regulations.
27. Power to delegate.
28. Laying of Rules and Regulations before Parliament.

धाराओं का क्रम

धाराएं | अध्याय 4 | पृष्ठ

प्रकीर्ण

20.	केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश	9
21.	विवरणियां और सूचना	9
22.	उपाधियां प्रदान करने का अधिकार	9
23.	कुछ दशाओं में "विश्वविद्यालय" शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध	10
24.	शास्तियां	10
25.	नियम बनाने की शक्ति	10
26.	विनियम बनाने की शक्ति	11
27.	प्रत्यायोजन की शक्ति	11
28.	नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना	12

THE UNIVERSITY GRANTS COMMISSION ACT, 1956

(ACT No. 3 OF 1956)

[3rd March,

An Act to make provision for the co-ordination and determinaton of standa in Universities and for that purpose, to establish a University Gr Commission.

BE it enacted by Parliament in the Seventh Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement—(*1*) This Act may be called the University Grants C mission Act, 1956.

(*2*) It shall come into force on such date[1] as the Central Government may, by notificatior the Official Gazette, appoint.

2. Definitions—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "Commission" means the University Grants Commission established under section

(*b*) "executive authority", in relation to a University, means the chief executive autho of the University (by whatever name called) in which the general administration of the U versity is vested;

(*c*) "Fund" means the Fund of the University Grants Commission constituted und section 16;

(*d*) "member" means a member of the University Grants Commission and includes t chairman [2][and Vice-Chairman];

(*e*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*f*) "University" means a University established or incorporated by or under Central A a Provincial Act or a State Act, and includes any such institution as may, in consultation wi the University concerned, be recognised by the Commission in accordance with the regulatio made in this behalf under this Act.

---

1. 5th November, 1956, *vide* notification No. S. R. O. 2608, dated the 1st November, 1956, *see* Gazette of Ind 1956, Pt. II, Sec. 3, p. 1882.

This Act has been extended to Pondicherry by Act 26 of 1968, s. 3 and Sch. I.

2. Ins. by Act 33 of 1972, s. 2 (w. e. f. 17-6-1972).

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम संख्यांक 3)

[3 मार्च, 1956]

विश्वविद्यालयों में एकसूत्रता लाने और स्तरमानों का निर्धारण करने के लिए और उस प्रयोजनार्थ एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सातवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 है।

(2) यह उस तारीख[1] को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएं**—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "कार्यपालक प्राधिकारी" से किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का वह मुख्य कार्यपालक प्राधिकारी अभिप्रेत है (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) जिसमें विश्वविद्यालय का सामान्य प्रशासन निहित है;

(ग) "निधि" से धारा 16 के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत अध्यक्ष [2][और उपाध्यक्ष भी] हैं ;

(ङ) "विहित" इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(च) "विश्वविद्यालय" से किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालय अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत कोई ऐसी संस्था भी है जो, संबद्ध विश्वविद्यालय के परामर्श से, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त बनाए गए विनियमों के अनुसार आयोग से मान्यता प्राप्त है।

---

1. अधिसूचना सं० का० नि० आ० 2608, तारीख 1 नवम्बर, 1956 के अनुसार, 5 नवम्बर, 1956, देखिए भारत का राजपत्र, 1956 (अंग्रेजी), भाग 2, खंड 3, पृष्ठ 1882 ।

इस अधिनियम का विस्तार 1968 के अधिनियम सं० 26 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा पाण्डिचेरी पर किया गया है।

2. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 2 द्वारा (17-6-1972 से) अन्तःस्थापित।

2—10 M of L& J/87

3. Application of Act to institutions for higher studies other than Univers Central Government may, on the advice of the Commission, declare, by notification in Gazette, that any institution for higher education, other than a University, shall be deen University for the purposes of this Act, and on such a declaration being made, all the pı this Act shall apply to such institution as if it were a University within the meaning of of section 2.

CHAPTER II

ESTABLISHMENT OF THE COMMISSION

4. Establishment of the Commission—*(1)* With effect from such date as the Centra ment may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a Cc by the name of the University Grants Commission.

(2) The said Commission shall be a body corporate having perpetual succession and a seal, and shall by the said name sue and be sued.

[1][5. **Composition of the Commission**—*(1)* The Commission shall consist of—

(i) a Chairman,

(ii) a Vice-Chairman, and

(iii) ten other members,

to be appointed by the Central Government.

(2) The Chairman shall be chosen from among persons who are not officers of the Government or of any State Government.

(3) Of the other members referred to in clause *(iii)* of sub-section *(1)*—

(a) two shall be chosen from among the officers of the Central Government, to repres Government;

(b) not less than four shall be chosen from among persons who are, at the time when tl so chosen, teachers of Universities; and

(c) the remainder shall be chosen from among persons—

(i) who have knowledge of, or experience in, agriculture, commerce, fore: industry;

(ii) who are members of the engineering, legal, medical or any other learned] sion; or

(iii) who are Vice-Chancellors of Universities or who, not being teachers of U sities, are, in the opinion of the Central Government, educationists of repute or have ob high academic distinctions:

Provided that not less than one-half of the number chosen under this clause shall be among persons who are not officers of the Central Government or of any State Govern

1. Subs. by Act 33 of 1972, s. 3, for s. 5 (w. e. f. 17-6-1972).

—The
ʼfficial
› be a
›ns of
e (*f*)

ern-
sion

on

al

t

3. **अधिनियम का विश्वविद्यालयों से भिन्न उच्च अध्ययन की संस्थाओं को लागू होना**—केन्द्रीय सरकार, आयोग की सलाह पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकती है कि विश्वविद्यालय से भिन्न उच्च अध्ययन की कोई संस्था, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय समझी जाएगी, और ऐसी घोषणा किए जाने पर, इस अधिनियम के सभी उपबन्ध ऐसी संस्था को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह धारा 2 के खण्ड (च) के अर्थ में विश्वविद्यालय है।

अध्याय 2
आयोग की स्थापना

4. **आयोग की स्थापना**—(1) ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से एक आयोग स्थापित किया जाएगा।

(2) उक्त आयोग शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

[1][5. **आयोग की संरचना**—(1) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा:—

(i) एक अध्यक्ष,

(ii) एक उपाध्यक्ष, और

(iii) दस अन्य सदस्य,

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।

(2) अध्यक्ष उन व्यक्तियों में से चुना जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं।

(3) उपधारा (1) के खंड (iii) में निर्दिष्ट अन्य सदस्यों में से,—

(क) दो सदस्य केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सरकार के अधिकारियों में से चुने जाएंगे;

(ख) कम से कम चार सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे जो इस प्रकार चुने जाने के समय विश्वविद्यालयों के शिक्षक हैं; और

(ग) शेष सदस्य उन व्यक्तियों में से चुने जाएंगे—

(i) जिन्हें कृषि, वाणिज्य, वन-विज्ञान या उद्योग का ज्ञान या अनुभव हो;

(ii) जो इंजीनियरी, विधि, चिकित्सा या अन्य विद्वत्वृत्ति के व्यक्ति हों; या

(iii) जो विश्वविद्यालयों के कुलपति हों या, विश्वविद्यालयों के शिक्षक न होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार की राय में जो ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् हों या जिन्होंने उच्च शैक्षणिक विशिष्टताएं प्राप्त की हों:

परन्तु इस खंड के अधीन चुने गए व्यक्तियों में से कम से कम आधे उन व्यक्तियों में से होंगे जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधिकारी नहीं हैं।

1. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 3 द्वारा (17-6-1972 से) धारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(*4*) The Vice-Chairman shall exercise such of the powers, and discharge such of the duties, the Chairman as may be prescribed.

(5) Every appointment under this section shall take effect from the date on which it is notifi by the Central Government in the Official Gazette.]

6. Terms and conditions of service of members—[1][(*1*) A person appointed as Chairm: Vice-Chairman or other member after the commencement of the University Grants Commissi (Amendment) Act, 1985 shall, unless he sooner becomes disqualified for continuing as such unc the rules that may be made under this Act,—

(*a*) in the case of Chairman, hold office for a term of five years or until he attains the age sixty-five years, whichever is earlier;

(*b*) in the case of Vice-Chairman, hold office for a term of three years or until he attains tl age of sixty-five years, whichever is earlier;

(*c*) in the case of any other member, hold office for a term of three years:

Provided that—

(*i*) a person who has held office as Chairman or Vice-Chairman shall be eligible for furth appointment as Chairman, Vice-Chairman or other member, and

(*ii*) a person who has held office as any other member shall be eligible for further appoin ment as Chairman, Vice-Chairman or other member:

Provided further that a person who has held office for two terms, in any capacity, whether ε Chairman, Vice-Chairman or other member [excluding a member referred to in clause (*a*) of sul section (*3*) of section 5], shall not be eligible for any further appointment as Chairman, Vice-Chai man or other member.]

(*2*) A member may resign his office by writing under his hand addressed to the Central Goveri ment, but he shall continue in office until his resignation is accepted by the Central Governmen

[2][(*3*) If a casual vacancy occurs in the office of the Chairman, whether by reason of his deatl resignation or inability to discharge his functions owing to illness or other incapacity, the Vice-Chaii man holding office as such for the time being shall, notwithstanding anything contained in sul section (*2*) of section 5, act as the Chairman and shall, unless any other person is appointed earlie as the Chairman, hold the office of the Chairman for the remainder of the term of office of the perso in whose place he is to so act:

Provided that where no Vice-Chairman is holding office at the time when the vacancy in th office of the Chairman occurs, the Central Government shall, notwithstanding anything containe in sub-section (*2*) of section 5, appoint any other member to act as the Chairman and the perso so appointed shall not hold the office of the Chairman for a period exceeding six months.

1. Subs. by Act 70 of 1985, s. 2, for sub-section (*1*).

2. Subs. by Act 33 of 1972, s. 4, for sub-sections (*3*) and (*4*) (w. e. f. 17-6-1972).

(4) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की उन शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उसके उन कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति उस तारीख से प्रभावी होगी जिसको वह केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाएं।]

6. **सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबंधन**—[1][(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के पश्चात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जब तक वह इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले नियमों के अधीन उस रूप में बने रहने के लिए पहले ही निर्रहित नहीं हो जाता है,—

(क) अध्यक्ष की दशा में, पांच वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा;

(ख) उपाध्यक्ष की दशा में, तीन वर्ष की अवधि तक, या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करेगा ;

(ग) किसी अन्य सदस्य की दशा में, तीन वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा :

परन्तु—

(i) कोई व्यक्ति, जिसने अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा; और

(ii) कोई व्यक्ति, जिसने किसी अन्य सदस्य के रूप में पद धारण किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में पुनःनियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु यह और कि कोई व्यक्ति; जिसने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य की [जिसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य नहीं है] हैसियत में दो अवधियों तक पद धारण किया है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में किसी पुनःनियुक्ति का पात्र नहीं होगा।]

(2) कोई भी सदस्य केन्द्रीय सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पदत्याग सकता है, किन्तु वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक केन्द्रीय सरकार उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं कर लेती है।

[2][(3) यदि अध्यक्ष के पद में, उसकी मृत्यु हो जाने के, पदत्याग कर देने के अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने के कारण आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो उस रूप में तत्समय पद धारण करने वाला उपाध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और यदि इसके पूर्व कोई अन्य व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता है तो वह अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार कार्य करना है, पदावधि के शेष भाग के लिए धारण करेगा :

परन्तु जहां कोई उपाध्यक्ष उस समय पद धारण नहीं कर रहा है जब अध्यक्ष के पद में रिक्ति होती है वहां केन्द्रीय सरकार, धारा 5 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगी और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अध्यक्ष का पद छह मास से अधिक अवधि के लिए धारण नहीं करेगा।

---

1. 1985 के अधिनियम सं० 70 की धारा 2 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 4 द्वारा उपधारा (3) और उपधारा (4) के स्थान पर (17-6-1972 से) प्रतिस्थापित ।

(*4*) If a casual vacancy occurs in the office of the Vice-Chairman or any other member, w ther by reason of his death, resignation or inability to discharge his functions owing to illness or ot incapacity, such vacancy shall be filled up by the Central Government by making a fresh appoi ment and the member so appointed shall hold office for a term of three years.

(*5*) The office of the Chairman and the Vice-Chairman shall be whole-time and salaried a subject thereto, the terms and conditions of service of the Chairman, Vice-Chairman, and other me bers shall be such as may be prescribed.]

7. Meetings of the Commission—The Commission shall meet at such times and places a shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings as may l provided by regulations made under this Act.

8. Vacancies amongst members or defect in constitution not to invalidate acts c proceedings of the Commission—No act or proceedings of the Commission shall be deemed be invalid by reason merely of any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commissio

9. Temporary association of persons with the Commission for particular purposes- (*1*) The Commission may associate with itself, in such manner and for such purposes as may b determined by regulations made under this Act, any person whose assistance or advice it may desir in carrying out any of the provisions of this Act.

(*2*) A person associated with it by the Commission under sub-section (*1*) for any purpose sha have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vot at a meeting of the Commission, and shall not be a member for any other purpose.

10. Staff of the Commission—Subject to such rules as may be made by the Central Govern ment in this behalf, the Commission may appoint a Secretary and such other employees as it may think necessary for the efficient performance of its functions under this Act and the terms and con ditions of service of the employees shall be such as may be determined by the Commission.

11. Authentication of orders and other instruments of the Commission—All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the signature of the Chairman or any other member authorised by the Commission in this behalf, and all other instruments issued by the Commission shall be authenticated by the signature of the Secretary or any other officer of the Commission authorised in like manner in this behalf.

CHAPTER III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE COMMISSION

12. Functions of the Commission—It shall be the general duty of the Commission to take in consultation with the Universities or other bodies concerned, all such steps as it may think fit for the promotion and co-ordination of University education and for the determination and maintenance of standards of teaching, examination and research in Universities, and for the purpose of performing its functions under this Act, the Commission may—

(*a*) inquire into the financial needs of Universities;

(*b*) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, grants to Universities established or incorporated by or under a Central Act for the maintenance and development of such Universities or for any other general or specified purpose;

(4) यदि उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के पद में, उसकी मृत्यु हो जाने के, पदत्याग कर देने के अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने के कारण आकस्मिक रिक्ति हो जाती है तो वह रिक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद पूर्णकालिक और वैतनिक होगा और, इसके अधीन रहते हुए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबन्धन वे होंगे जो विहित किए जाएं।

7. **आयोग की बैठकें**—आयोग ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कार्य संचालन के बारे में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

8. **सदस्यों में रिक्तियों के या गठन में त्रुटि के कारण आयोग के कार्यों या कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना**—आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही आयोग में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

9. **विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना**—(1) आयोग, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, किसी व्यक्ति को जिसकी सहायता या सलाह इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए वह चाहता है, अपने साथ सहयुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा अपने साथ सहयुक्त व्यक्ति को उस प्रयोजन से सुसंगत चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे आयोग की किसी बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

10. **आयोग के कर्मचारिवृन्द**—ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे और कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबन्धन वे होंगे जो आयोग द्वारा अवधारित किए जाएं।

11. **आयोग के आदेशों और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणित किया जाना**—आयोग के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और आयोग द्वारा जारी की गई अन्य सभी लिखत सचिव के या आयोग द्वारा इस निमित्त वैसी ही रीति से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

अध्याय 3

आयोग की शक्तियां और कृत्य

12. **आयोग के कृत्य**—आयोग का सामान्य कर्तव्य, संबद्ध विश्वविद्यालयों या अन्य निकायों के परामर्श से, ऐसी सभी कार्यवाहियां करना होगा, जो विश्वविद्यालय शिक्षा की अभिवृद्धि और उसमें एकसूत्रता लाने के लिए और विश्वविद्यालयों में अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरमानों का निर्धारण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए वह ठीक समझे, और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजन के लिए, आयोग,—

(क) विश्वविद्यालयों की वित्तीय आवश्यकताओं की जांच कर सकता है;

(ख) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों को आयोग की निधि में से ऐसे विश्वविद्यालयों के चलाने और उनके विकास के लिए या किसी अन्य साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अनुदान आबंटित और संवितरित कर सकता है;

(*c*) allocate and disburse, out of the Fund of the Commission, such grants to other Universities as it may deem [1][necessary or appropriate for the development of such Universities or for the maintenance, or development, or both, of any specified activities of such Universities or for any other general or specified purpose:

Provided that in making any grant to any such University, the Commission shall give due consideration to the development of the University concerned, its financial needs, the standard attained by it and the national purposes which it may serve;

[2][(*cc*) allocate and disburse out of the Fund of the Commission, such grants to institutions deemed to be Universities in pursuance of a declaration made by the Central Government under section 3, as it may deem necessary, for one or more of the following purposes, namely:—

(*i*) for maintenance in special cases,

(*ii*) for development,

(*iii*) for any other general or specified purpose;]

[3][(*ccc*) establish, in accordance with the regulations made under this Act, institutions for providing common facilities, services and programmes for a group of universities or for the universities in general and maintain such institutions or provide for their maintenance by allocating and disbursing out of the Fund of the Commission such grants as the Commission may deem necessary;

(*d*) recommended to any University the measures necessary for the improvement of University education and advice the University upon the action to be taken for the purpose of implementing such recommendation;

(*e*) advise the Central Government or any State Government on the allocation of any grants to Universities for any general or specified purpose out of the Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of the State, as the case may be;

(*f*) advise any authority, if such advice is asked for, on the establishment of a new University or on proposals connected with the expansion of the activities of any University;

(*g*) advise the Central Government or any State Government or University on any question which may be referred to the Commission by the Central Government or the State Government or the University, as the case may be;

(*h*) collect information on all such matters relating to University education in India and other countries as it thinks fit and make the same available to any University;

1. Subs. by Act 33 of 1972, s. 5, for certain words (w. e f. 17-6-1972).
2. Ins. by s. 5, *ibid.* (w. e. f. 17-6-1972).
3. Ins. by Act 59 of 1984, s. 2 (w. e. f. 1-10-1984).

(ग) अन्य विश्वविद्यालयों को आयोग की निधि में से ऐसे अनुदान आबंटित और संवितरित कर सकता है जो वह [1][ऐसे विश्वविद्यालयों के विकास के लिए अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों के किन्हीं विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों के चलाने या उनके विकास के लिए या दोनों के लिए] अथवा किसी अन्य साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए आवश्यक या समुचित समझे:

परन्तु ऐसे किसी विश्वविद्यालय को कोई अनुदान देते समय, आयोग संबद्ध विश्वविद्यालय के विकास पर, उसकी वित्तीय आवश्यकताओं पर, उसके द्वारा प्राप्त स्तरमान पर और उन राष्ट्रीय उद्देश्यों पर जिनकी वह पूर्ति कर सकता है, सम्यक् रूप से विचार करेगा;

[2][(गग) आयोग धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं को निधि में से ऐसे अनुदान आबंटित और वितरित कर सकता है जो वह निम्नलिखित प्रयोजन में से किसी एक या अधिक के लिए आवश्यक समझे, अर्थात्:—

(i) विशेष दशाओं में चलाने के लिए;

(ii) विकास के लिए;

(iii) किसी अन्य साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए;]

[3][(गगग) विश्वविद्यालयों के किसी समूह के लिए या साधारणतया विश्वविद्यालयों के लिए सामान्य सुविधाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और आयोग की निधि में से ऐसे अनुदान आबंटित और संवितरित करके, जो आयोग आवश्यक समझे, ऐसी संस्थाओं को चला सकता है या उनके चलाए जाने की व्यवस्था कर सकता है;]

(घ) किसी विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश कर सकता है और ऐसी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए की जाने वाली कार्रवाई पर विश्वविद्यालय को सलाह दे सकता है;

(ङ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को, यथास्थिति, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से किसी साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालयों को किन्हीं अनुदानों के आबंटन पर सलाह दे सकता है;

(च) किसी प्राधिकारी को, यदि सलाह मांगी जाए तो, किसी नए विश्वविद्यालय की स्थापना पर या किसी विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के विस्तार से सम्बन्धित प्रस्थापनाओं पर ऐसी सलाह दे सकता है;

(छ) केन्द्रीय सरकार को या किसी राज्य सरकार को या विश्वविद्यालय को किसी ऐसे प्रश्न पर सलाह दे सकता है जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय द्वारा आयोग को निर्देशित किया जाए;

(ज) भारत में और अन्य देशों में विश्वविद्यालय शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे सभी मामलों पर ऐसी जानकारी एकत्र कर सकता है जो वह ठीक समझे और उसे किसी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा सकता है;

---

1. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 5 द्वारा (17-6-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 5 द्वारा (17-6-1972 से) अन्तःस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 2 द्वारा (1-10-1984 से) अन्तःस्थापित।

3—10 M of L & J/87

(*i*) require a University to furnish it with such information as may be needed relating financial position of the University or the studies in the various branches of learning taken in that University, together with all the rules and regulations relating to the stand teaching and examination in that University respecting each of such branches of lea

(*j*) perform such other functions as may be prescribed or as may be deemed necessary Commission for advancing the cause of higher education in India or as may be inciden conducive to the discharge of the above sections.

[1][**12A. Regulation of fees and prohibition of donation in certain cases**–(*1*) In this secti

(*a*) "affiliation", together with its grammatical variations, includes, in relation to a co recognition of such college by, association of such college with, and admission of such cc to the privileges of, a university;

(*b*) "college" means any institution, whether known as such or by any other name w provides for a course of study for obtaining any qualification from a university and wh in accordance with the rules and regulations of such university, is recognised as competen provide for such course of study and present students undergoing such course of study for examination for the award of such qualification;

(*c*) "prosecution", in relation to a course of study, includes promotion from one part stage of the course of study to another part or stage of the course of study;

(*d*) "qualification" means a degree or any other qualification awarded by a universi

(*e*) "regulations" means regulations made under this Act;

(*f*) "specified course of study" means a course of study in respect of which regulations the nature mentioned in sub-section (*2*) have been made;

(*g*) "student" includes a person seeking admission as a student;

(*h*) "university" means a university or institution referred to in sub-section (*1*) of section 2:

(*2*) Without prejudice to the generality of the provisions of section 12, if, having regard to–

(*a*) the nature of any course of study for obtaining any qualification from any univer sity;

(*b*) the types of activities in which persons obtaining such qualification are likely to be engaged on the basis of such qualification;

(*c*) the minimum standards which a person possessing such qualification should be able to maintain in his work relating to such activities and the consequent need for ensuring, so far as may be, that no candidate secures admission to such course of study by reason of economic power and thereby prevents a more meritorious candidate from securing admission to such course of study; and

1. Ins. by Act 59 of 1984, s. 3 (w.e.f. 1-10-1984).

(झ) किसी विश्वविद्यालय से अपेक्षा कर सकता है कि वह उसे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति या उस विश्वविद्यालय में प्रारम्भ की जाने वाली विद्या की विभिन्न शाखाओं में अध्ययन से सम्बन्धित आवश्यक जानकारी, ऐसी विद्या की शाखाओं में से प्रत्येक की बाबत उस विश्वविद्यालय में अध्यापन और परीक्षा के स्तरमानों से सम्बन्धित सभी नियमों और विनियमों सहित दे ;

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन कर सकता है जो विहित किए जाएं या जो आयोग द्वारा भारत में उच्च शिक्षा के उद्देश्य की अभिवृद्धि के लिए आवश्यक समझे जाएं या जो उक्त कृत्यों के निर्वहन के अनुषंगी हों या उसमें साधक हों ।

[1][12क. **फीसों का विनियमन और कुछ दशाओं में संदान का प्रतिषेध**--(1) इस धारा में,--

(क) उसके व्याकरणिक रूपभेदों सहित, सहबद्ध करना" के अन्तर्गत, किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में, किसी विश्वविद्यालय के साथ ऐसे महाविद्यालय के सहयोजन द्वारा ऐसे महाविद्यालय को मान्यता देना और ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय जन्य विशेषाधिकार देना है;

(ख) "महाविद्यालय" से कोई ऐसी संस्था, चाहे वह उस नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम की व्यवस्था करती है और जिसे ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों के अनुसार, सक्षम माना गया है और जो ऐसे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्रों को ऐसी अर्हता के किए जाने के लिए परीक्षा में बिठाती है;

(ग) किसी पाठ्यक्रम के संबंध में, "अध्ययन करना" के अन्तर्गत पाठ्यक्रम के एक भाग या प्रक्रम से पाठ्यक्रम के किसी अन्य भाग या प्रक्रम के लिए प्रोन्नति है ;

(घ) "अर्हता" से किसी विश्वविद्यालय द्वारा दी गई उपाधि या कोई अन्य अर्हता अभिप्रेत है ;

(ङ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत है;

(च) "विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम" से एसा पाठ्यक्रम अभिप्रेत है जिसकी बाबत उपधारा (2) में वर्णित प्रकृति के विनियम बनाए गए हैं;

(छ) "छात्र" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो छात्र के रूप में प्रवेश लेना चाहता है ;

(ज) "विश्वविद्यालय" से ऐसा विश्वविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है जो धारा 22 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है।

(2) धारा 12 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि---

(क) किसी विश्वविद्यालय से कोई अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी पाठ्यक्रम की प्रकृति को;

(ख) उस प्रकार के क्रियाकलापों को, जिनमें ऐसी अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के ऐसी अर्हता के आधार पर लगाए जाने की संभावना है ;

(ग) ऐसे न्यूनतम स्तरमानों को, जिन्हें ऐसी अर्हता रखने वाला व्यक्ति ऐसे क्रियाकलापों से संबंधित अपने काम में बनाए रखने में समर्थ हो और जहां तक हो सके, यह सुनिश्चित करने की पारिणामिक आवश्यकता को कि कोई अभ्यर्थी आर्थिक शक्ति के कारण ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त न कर ले और ऐसा करके किसी अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी को ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने से निवारित न कर दे; और

1. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 3 द्वारा (1-10-1984 से) अंतःस्थापित।

(*d*) all other relevant factors,

the Commission is satisfied that it is necessary so to do in the public interest, it may, after consultation with the university or universities concerned, specify by regulations the matters in respect of which fees may be charged, and the scale of fees in accordance with which fees shall be charged in respect of those matters on and from such date as may be specified in the regulations in this behalf, by any college providing for such course of study from, or in relation to, any student in connection with his admission to, and prosecution of, such course of study:

Provided that different matters and different scales of fees may be so specified in relation to different universities or different classes of colleges or different areas.

(*3*) Where regulations of the nature referred to in sub-section (*2*) have been made in relation to any course of study, no college providing for such course of study shall—

(*a*) levy or charge fees in respect of any matter other than a matter specified in such regulations;

(*b*) levy or charge any fees in excess of the scale of fees specified in such regulations, or

(*c*) accept, either directly or indirectly, any payment (otherwise than by way of fees) or any donation or gift (whether in cash or kind),

from, or in relation to, any student in connection with his admission to, and prosecution of, such course of study.

(*4*) If, after making, in relation to a college providing for a specified course of study, an inquiry in the manner provided by regulations, and after giving such college a reasonable opportunity of being heard, the Commission is satisfied that such college has contravened the provisions of sub-section (*3*), the Commission may, with the previous approval of the Central Government, pass an order prohibiting such college from presenting any students then undergoing such course of study therein to any university for the award of the qualification concerned.

(*5*) The Commission shall forward a copy of the order made by it under sub-section (*4*) to the university concerned, and on and from the date of receipt by the university of a copy of such order the affiliation of such college to such university shall, in so far as it relates to the course of study specified in such order, stand terminated and on and from the date of termination of such affiliation and for a period of three years thereafter affiliation shall not be granted to such college in relation to such or similar course of study by that or any other university.

(*6*) On the termination of the affiliation of any college under sub-section (*5*), the Commission shall take all such steps as it may consider appropriate for safeguarding the interests of the students concerned.

(*7*) The provisions of this section and the regulations made for the purposes of this section shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.]

(घ) अन्य सभी सुसंगत बातों को,

ध्यान में रखते हुए, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह संबंधित विश्वविद्यालय या विश्वविद्यायों से परामर्श करने के पश्चात्, विनियमों द्वारा, वे विषय जिनकी बाबत फीसें भारित की जा सकती है और फीसों का वह मापमान विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसके अनुसार उन विषयों की बाबत ऐसी तारीख से ही जो विनियमों में इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाले किसी महाविद्यालय द्वारा किसी छात्र से, या उसके संबंध में, उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश या उसके अनुसार अध्ययन करने के संबंध में फीसें भारित की जाएंगी :

परन्तु भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों या भिन्न-भिन्न प्रवर्ग के महाविद्यालयों या भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के संबंध में भिन्न-भिन्न विषय और फीसों के भिन्न-भिन्न मापमान इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे।

(3) जहां किसी पाठ्यक्रम के संबंध में उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के विनियम बनाए गए हैं वहां ऐसे पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाला कोई भी महाविद्यालय, किसी छात्र से या उसके संबंध में, उसके ऐसे पाठ्यक्रम में प्रवेश या उसके अनुसार अध्ययन करने के सबध में,—

(क) ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट विषय से भिन्न किसी विषय की बाबत फीस उद्गृहीत या भारित नहीं करेगा;

(ख) ऐसे विनियमों में विनिर्दिष्ट फीसों के मापमान से अधिक कोई फीस उद्गृहीत या भारित नहीं करेगा; या

(ग) (फीस से भिन्न) कोई संदाय अथवा कोई संदान या दान (नकद या वस्तु रूप में) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वीकार नहीं करेगा।

(4) यदि किसी विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने वाले किसी महाविद्यालय के संबंध में, विनियमों द्वारा उपबंधित रीति से जांच करने के पश्चात् और ऐसे महाविद्यालय को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, आयोग का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे महाविद्यालय ने उपधारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन किया है तो आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जिससे ऐसे महाविद्यालय को, किन्हीं ऐसे छात्रों को, जो उस समय उस महाविद्यालय में ऐसा पाठ्यक्रम कर रहे हैं, संबंधित अर्हता के दिए जाने के लिए किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा में बिठाने से प्रतिषिद्ध किया जाए।

(5) आयोग उपधारा (4) के अधीन अपने द्वारा किए गए आदेश की एक प्रति संबंधित विश्वविद्यालय को भेजेगा और ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से ही, ऐसे महाविद्यालय का ऐसे विश्वविद्यालय से सहबद्ध किया जाना, जहां तक कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम का संबंध है, समाप्त हो जाएगा, और ऐसी सहबद्धता की समाप्ति की तारीख से ही और उसके पश्चात् तीन वर्ष की अवधि तक ऐसे महाविद्यालय को, उस विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे ही या समरूप पाठ्यक्रम के संबंध में सहबद्ध नहीं किया जाएगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी महाविद्यालय से सहबद्धता को समाप्ति पर, आयोग संबंधित छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वह उपयुक्त समझे।

(7) इस धारा के उपबंध और इस धारा के प्रयोजनों के लिए बनाए गए विनियम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।]

[1][[2][12B.] **Prohibition regarding giving of any grant to a University not declared by the Commission fit to receive such grant**—No grant shall be given by the Central Government, the Commission, or any other organisation receiving any funds from the Central Government, to a University which is established after the commencement of the University Grants Commission (Amendment) Act, 1972, unless the Commission has, after satisfying itself as to such matters as may be prescribed, declared such University to be fit for receiving such grant.]

13. Inspection—(*1*) For the purpose of ascertaining the financial needs of a University or its standards of teaching, examination and research, the Commission may, after consultation with the University, cause an inspection of any department or departments thereof to be made in such manner as may be prescribed and by such person or persons as it may direct.

(*2*) The Commission shall communicate to the University the date on which any inspection under sub-section (1) is to be made and the University shall be entitled to be associated with the inspection in such manner as may be prescribed.

(*3*) The Commission shall communicate to the University its views in regard to the results of any such inspection and may, after ascertaining the opinion of the University, recommend to the University the action to be taken as a result of such inspection.

(*4*) All communications to a University under this section shall be made to the executive authority thereof and the executive authority of the University shall report to the Commission the action, if any, which is proposed to be taken for the purpose of implementing any such recommendation as is referred to in sub-section (*3*).

14. Consequences of failure of Universities to comply with recommendations of the Commission—If any University [3][grants affiliation in respect of any course of study to any college referred to in sub-section (5) of section12A in contravention of the provisions of that sub-section or fails within a reasonable time to comply with any recommendation made by the Commission under section 12 or section 13, [4][or contravenes the provisions of any rule made under clause (*f*) or clause (*g*) of sub-section (*2*) of section 25, or of any regulation made under clause (*e*) or clause (*f*) or clause (*g*) of section 26,] the Commission, after taking into consideration the cause, if any, shown by the University [5][for such failure or contravention,] may withhold from the University the grants proposed to be made out of the fund of the Commission.

15. Payment to the Commission—The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Commission in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Commission under this Act.

16. Fund of the Commission—(*1*) The Commission shall have its own Fund; and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Central Government and all the receipts of the Commission (including any sum which any State Government or any other authority or person may hand over to the Commission) shall be carried to the Fund and all payments by the Commission shall be made therefrom.

1. Ins. by Act 33 of 1972, s. 6 (w. e. f. 17-6-1972).
2. S. 12A renumbered as s. 12B by Act 59 of 1984, s. 3 (w. e. f. 1-10-1984).
3. Ins. by s. 4, *ibid.* (w. e. f. 1-10-1984).
4. Ins. by Act 33 of 1972, s. 7 (w. e. f. 17-6-1972).
5. Subs. by s. 7, *ibid.*, for certain words (w. e. f. 17-6-1972).

[1][[2][12ख]. **ऐसे विश्वविद्यालय को अनुदान दिए जाने के बारे में प्रतिषेध जिसे आयोग ने ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया**—केन्द्रीय सरकार, आयोग या केन्द्रीय सरकार से निधि प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन द्वारा कोई अनुदान ऐसे विश्वविद्यालय को, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ के पश्चात् स्थापित किया जाता है, तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि आयोग ने, उन विषयों के बारे में अपना समाधान करने के पश्चात् जो विहित किए जाएं, उस विश्वविद्यालय को ऐसा अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित न कर दिया हो।]

13. **निरीक्षण**—(1) आयोग, किसी विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं को या उसके अध्यापन, परीक्षा और अनुसंधान के स्तरमानों को अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए उस विश्वविद्यालय से परामर्श के पश्चात्, उसके किसी विभाग या विभागों का ऐसी रीति से जो विहित की जाए और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जो वह निर्दिष्ट करे, निरीक्षण करा सकता है।

(2) आयोग विश्वविद्यालय को वह तारीख संसूचित करेगा जिसको उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण किया जाना है और विश्वविद्यालय, निरीक्षण से ऐसी रीति से सहयुक्त किए जाने का हकदार होगा जो विहित की जाए।

(3) आयोग, विश्वविद्यालय को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के बारे में अपने विचार संसूचित करेगा, और विश्वविद्यालय की राय जानने के पश्चात्, विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी विश्वविद्यालय को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं उस विश्वविद्यालय के कार्यपालक प्राधिकारी को भेजी जाएंगी और उस विश्वविद्यालय का कार्यपालक प्राधिकारी आयोग को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा जिसकी उपधारा (3) में यथानिर्दिष्ट किसी सिफारिश को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए की जाने की प्रस्थापना है।

14. **आयोग की सिफारिशों का अनुपालन करने में विश्वविद्यालयों के असफल रहने के परिणाम**—यदि कोई विश्वविद्यालय [3][धारा 12क की उपधारा (5) में निर्दिष्ट किसी महाविद्यालय को, उस उपधारा के उपबंधों के उल्लंघन में, किसी पाठ्यक्रम की बाबत सहबद्धता प्रदान करेगा अथवा] धारा 12 या धारा 13 के अधीन आयोग द्वारा की गई किसी सिफारिश का उचित समय के अन्दर अनुपालन करने में असफल रहेगा [4][अथवा धारा 24 की उपधारा (2) के खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन बनाए गए किसी नियम के या धारा 26 के खण्ड (ङ) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) के अधीन बनाए गए किसी विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा] तो आयोग, विश्वविद्यालय द्वारा [5][ऐसी असफलता या उल्लंघन के लिए] दर्शित किए गए हेतुक पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् आयोग की निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अनुदान को उस विश्वविद्यालय को देने से विधारित कर सकेगा।

15. **आयोग को संदाय**—केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा सम्यक् विनियोग किए जाने के पश्चात्, आयोग को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का संदाय कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के पालन के लिए आवश्यक समझी जाएं।

16. **आयोग की निधि**—(1) आयोग की अपनी निधि होगी; तथा वे सभी धनराशियां जो समय-समय पर उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा संदत्त की जाएं और आयोग की सभी प्राप्तियां (जिनके अन्तर्गत ऐसी धनराशि भी है जिसे कोई राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति आयोग को दे) निधि में जमा की जाएंगी और आयोग द्वारा सभी संदाय उसमें से किए जाएंगे।

---

1. 1972 के अधिनियम सं०, 33 की धारा 6 द्वारा (17-6-1972 से) अन्तःस्थापित।
2. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 3 द्वारा धारा 12क (1-10-1984 से) धारा 12ख के रूप में पुनर्संख्यांकित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 4 द्वारा (1-10-1984 से) अंतः स्थापित।
4. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (17-6-1972 से) अन्तःस्थापित।
5. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 7 द्वारा (17-6-1972 से) कतिपय शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) All moneys belonging to the Fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may, subject to the approval of the Central Government, be decided by the Commission.

(3) The Commission may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the Fund of the Commission.

17. Budget—The Commission shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing showing the estimated receipts and expenditure, and copies thereof shall be forwarded to the Central Government.

18. Annual report—The Commission shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year, and copies thereof shall be forwarded to the Central Government and the Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

19. Account and Audit—(*1*) The Commission shall cause to be maintained such books of account and other books in relation to its account in such form and in such manner as may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, be prescribed.

(*2*) The Commission shall, as soon as may be after closing its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form, and forward the same to the Comptroller and Auditor-General by such date as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General, determine.

(*3*) The accounts of the Commission shall be audited by the Comptroller and Auditor-General at such times and in such manner as he thinks fit.

(*4*) The annual accounts of the Commission together with the audit report thereon shall be forwarded to the Central Government and the Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament and shall also forward a copy of the audit report to the Commission for taking suitable action on the matters arising out of the audit report.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

20. Directions by the Central Government—(*1*) In the discharge of its functions under this Act, the Commission shall be guided by such directions on questions of policy relating to national purposes as may be given to it by the Central Government.

(*2*) If any dispute arises between the Central Government and the Commission as to whether a question is or is not a question of policy relating to national purposes, the decision of the Central Government shall be final.

21. Returns and information—The Commission shall furnish to the Central Government such returns or other information with respect to its property or activities as the Central Government may, from time to time, require.

22. Right to confer degrees—(*1*) The right of conferring or granting degrees shall be exercised only by a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act or an institution deemed to be a University under section 3 or an institution specially empowered by an Act of Parliament to confer or grant degrees.

(2) निधि के सभी धन ऐसे बैंकों में जमा किए जाएंगे या ऐसी रीति से विनिहित किए जाएंगे जो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, आयोग द्वारा विनिश्चित की जाए।

(3) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशियां व्यय कर सकता है जो वह ठीक समझे, और ऐसी धनराशियां आयोग की निधि में से संदेय व्यय समझी जाएंगी।

17. **बजट**—आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, आगामी वित्तीय वर्ष की बाबत प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए एक बजट तैयार करेगा और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी।

18. **वार्षिक रिपोर्ट**—आयोग हर वर्ष एक बार ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जो विहित किया जाए, पूर्ववर्ष के दौरान के अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्ण वृत्तान्त देते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा; और उसकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

19. **लेखा और लेखा-परीक्षा**—(1) आयोग अपने लेखाओं के सम्बन्ध में ऐसी लेखा बहियां और अन्य बहियां ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से रखवाएगा जो, भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित की जाए :

(2) आयोग, अपने वार्षिक लेखे बन्द करने के पश्चात् यथाशीघ्र, ऐसे प्ररूप में एक लेखा-विवरण तैयार करेगा, और उसे ऐसी तारीख तक नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक को भेजेगा जो केन्द्रीय सरकार, नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के परामर्श से, अवधारित करे।

(3) आयोग के लेखाओं की लेखा-परीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समयों पर और ऐसी रीति से की जाएगी जो वह ठीक समझे।

(4) आयोग के वार्षिक लेखे उन पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति आयोग को उस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से उत्पन्न होने वाले विषयों पर उपयुक्त कारंवाई करने के लिए भी भेजेगी।

अध्याय 4

प्रकीर्ण

20. **केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश**—(1) आयोग इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में राष्ट्रीय उद्देश्यों से सम्बन्धित नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए जाएं।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार और आयोग के बीच यह विवाद उठता है कि कोई प्रश्न राष्ट्रीय उद्देश्यों से सम्बन्धित नीति का है या नहीं तो उस पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

21. **विवरणियां और सूचना**—आयोग, केन्द्रीय सरकार को अपनी सम्पत्ति या क्रियाकलापों के बारे में ऐसी विवरणियां या अन्य सूचनाएं देगा जिनकी केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, अपेक्षा करे।

22. **उपाधियां प्रदान करने का अधिकार**—(1) उपाधियां प्रदान करने या देने के अधिकार का प्रयोग किसी केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय द्वारा या धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय समझी जाने वाली किसी संस्था द्वारा या संसद् के किसी अधिनियम द्वारा उपाधियां प्रदान करने या देने के लिए विशेषतः सशक्त किसी संस्था द्वारा ही किया जाएगा।

(2) Save as provided in sub-section (1), no person or authority shall confer, or grant, or hold himself or itself out as entitled to confer or grant, any degree.

(3) For the purposes of this section, "degree" means any such degree as may, with the previous approval of the Central Government, be specified in this behalf by the Commission by notification in the Official Gazette.

23. Prohibition of the use of the word "University" in certain cases—No institution, whether a corporate body or not, other than a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act shall be entitled to have the word "University" associated with its name in any manner whatsoever:

Provided that nothing in this section shall, for a period of two years from the commencement of this Act, apply to an institution which, immediately before such commencement, had the word "University" associated with its name.

24. Penalties—Whoever contravenes the provisions of section 22 or section 23 shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees, and if the person contravening is an association or other body of individuals, every member of such association or other body who knowingly or wilfully authorises or permits the contravention shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees.

25. Power to make rules—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the procedure for the retirement of members under section 6;

(b) the disqualifications for continuing as a member of the Commission;

(c) the terms and conditions of service of members of the Commission;

(d) the terms and conditions of service of employees appointed by the Commission;

(e) the additional functions which may be performed by the Commission under clause (j) of section 12;

(f) the returns and information which are to be furnished by Universities in respect of their financial position or standards of teaching and examination maintained therein;

(g) the inspection of Universities;

(h) the form and manner in which the budget and reports are to be prepared by the Commission;

(i) the manner in which the accounts of the Commission are to be maintained;

(j) the form and manner in which returns or other information are to be furnished by the Commission to the Central Government;

(k) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

[1][(3) The power to make rules conferred by this section shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the rules or any of them but no retrospective effect shall be given to any rule so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such rule may be applicable.]

1. Subs. by Act 59 of 1984, s. 5 (w. e. f. 1-10-1984).

(2) उपधारा (1) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, कोई व्यक्ति या प्राधिकारी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा या नहीं देगा अथवा उसे प्रदान करने या देने के हकदार के रूप में अपना व्यपदेशन नहीं करेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "उपाधि" से कोई ऐसी उपाधि अभिप्रेत है जो, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, आयोग द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए।

23. कुछ दशाओं में "विश्वविद्यालय" शब्द के प्रयोग का प्रतिषेध—केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से भिन्न कोई संस्था, चाहे वह निगमित निकाय हो या नहीं अपने नाम के साथ किसी भी रीति से "विश्वविद्यालय" शब्द सहयुक्त करने की हकदार नहीं होगी:

परन्तु इस धारा की कोई बात इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के लिए ऐसी किसी संस्था को लागू नहीं होगी जिसके नाम के साथ "विश्वविद्यालय" शब्द, ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले, सहयुक्त था।

24. शास्तियां—जो कोई धारा 22 या धारा 23 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और यदि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई संगम है या व्यष्टियों का अन्य निकाय है तो, ऐसे संगम या अन्य निकाय का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जानते हुए या जान-बूझकर ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करेगा या अनुज्ञात करेगा जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

25. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात्‌—

(क) धारा 6 के अधीन आने वाले सदस्यों की सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया;

(ख) आयोग के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए निरर्हताएं;

(ग) आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तें और निबन्धन;

(घ) आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबन्धन;

(ङ) वे अतिरिक्त कृत्य जिनका धारा 12 के खण्ड (ञ) के अधीन आयोग द्वारा पालन किया जा सकता है;

(च) वे विवरणियां और सूचनाएं जो विश्वविद्यालयों द्वारा अपनी वित्तीय स्थिति की बाबत या उनमें बनाए रखे जाने वाले अध्यापन और परीक्षा के स्तरमानों की बाबत दी जानी हैं;

(छ) विश्वविद्यालयों का निरीक्षण;

(ज) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे आयोग द्वारा बजट और रिपोर्टें तैयार की जानी है;

(झ) वह रीति जिससे आयोग के लेखे रखे जाने हैं;

(ञ) वह प्ररूप जिसमें और वह रीति जिससे आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और अन्य सूचनाएं दी जानी हैं;

(ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना है या विहित किया जाए।

[1][(3) इस धारा द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत नियमों को या उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर तारीख नहीं है, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी नियम को इस प्रकार कोई भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा नियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 5 द्वारा (1-10-1984 से) प्रतिस्थापित।

26. Power to make regulations—*(1)* The Commission [may, by notification in The Official Gazette, make regulations] consistent with this Act and the rules made thereunder,—

(a) regulating the meetings of the Commission and the procedure for conducting business thereat;

(b) regulating the manner in which and the purposes for which persons may be associated with the Commission under section 9;

(c) specifying the terms and conditions of service of the employees appointed by the Commission;

(d) specifying the institutions or class of institutions which may be recognised by the Commission under clause *(f)* of section 2;

(e) defining the qualifications that should ordinarily be required of any person to be appointed to the teaching staff of the University, having regard to the branch of education in which he is expected to give instruction;

(f) defining the minimum standards of instruction for the grant of any degree by any University;

(g) regulating the maintenance of standards and the co-ordination of work or facilities in Universities.

[1][*(h)* regulating the establishment of institutions referred to in clause *(ccc)* of section 12 and other matters relating to such institutions;

(i) specifying the matters in respect of which fees may be charged, and scales of fees in accordance with which fees may be charged, by a college under sub-section *(2)* of section 12A;

(j) specifying the manner in which an inquiry may be conducted under sub-section *(4)* of section 12A].

(2) No regulation shall be made under clause *(a)* or clause *(b)* or clause *(c)* or clause *(d)* [1][or clause *(h)* or clause *(i)* or clause *(j)*] of sub-section *(1)* except with the previous approval of the Central Government.

[1][*(3)* The power to make regulations conferred by this section [except clause *(i)* and clause *(j)* of sub-section (1)] shall include the power to give retrospective effect from a date not earlier than the date of commencement of this Act, to the regulations or any of them but no retrospective effect shall be given to any regulation so as to prejudicially affect the interests of any person to whom such regulation may be applicable].

[2][**27. Power to delegate**—*(1)* The Commission may, [3][by regulations made, by notification in the Official Gazette,] under this Act, delegate to its Chairman, Vice-Chairman or any of its officers, its power of general superintendence and direction over the business transacted by, or in, the Commission, including the powers with regard to the expenditure incurred in connection with the maintenance of the office and internal administration of the Commission.

(2) No regulation shall be made under this section except with the previous approval of the Central Government].

1. Ins. by Act 59 of 1984, s. 6 (w. e. f. 1-10-1984).
2. Ins. by Act 33 of 1972, s. 8 (w. e. f. 17-6-1972).
3. Subs. by Act 59 of 1984, s. 7 (w. e. f. 1-10-1984).

26. **विनियम बनाने की शक्ति**—(1) आयोग, निम्नलिखित बातों के लिए, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों से संगत [1][विनियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकता है] अर्थात्—

(क) आयोग की बैठकों को और बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया को विनियमित करना;

(ख) उस रीति को जिससे और उन प्रयोजनों को जिनके लिए धारा 9 के अधीन आयोग के साथ व्यक्ति सहयुक्त किए जा सकते हैं, विनियमित करना;

(ग) आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबन्धन विनिर्दिष्ट करना;

(घ) उन संस्थाओं या संस्थाओं के वर्गों को विनिर्दिष्ट करना जिनको धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन आयोग द्वारा मान्यता दी जा सकती है;

(ङ) उन अर्हताओं को परिनिश्चित करना जो विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिवृन्द में नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति से, विद्या की उस शाखा को ध्यान में रखते हुए जिसमें उस व्यक्ति द्वारा शिक्षण दिया जाना प्रत्याशित है, सामान्यतया अपेक्षित हैं;

(च) किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी उपाधि के लिए जाने के लिए शिक्षण के न्यूनतम स्तरमानों को परिनिश्चित करना;

(छ) विश्वविद्यालय में स्तरमानों के बनाए रखने को और काम या सुविधाओं की एकसूत्रता को विनियमित करना;

[1][(ज) धारा 12 के खण्ड (गगग) में निर्दिष्ट संस्थाओं की स्थापना को और ऐसी संस्थाओं से संबंधित अन्य विषयों को विनियमित करना;

(झ) वे विषय विनिर्दिष्ट करना, जिनकी बाबत फीसें भारित की जा सकती हैं और फीसों के ऐसे मापमान विनिर्दिष्ट करना, जिनके अनुसार किसी महाविद्यालय द्वारा धारा 12क की उपधारा (2) के अधीन फीसें भारित की जा सकती हैं;

(ञ) वह रीति विनिर्दिष्ट करना जिससे धारा 12क की उपधारा (4) के अधीन जांच कराई जा सकती है।]

(2) उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खण्ड (ग) या खण्ड (घ) [2][या खंड (ज) या खंड (झ) या खंड (ञ)] के अधीन कोई विनियम केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं बनाया जाएगा।

[1][(3) इस धारा द्वारा [उपधारा (1) के खण्ड (झ) और खण्ड (ञ) को छोड़कर] प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत विनियमों को या उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पूर्वतर तारीख नहीं है, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।]

[2][27. **प्रत्यायोजन की शक्ति**—(1) आयोग, इस अधिनियम के [3][अधीन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बनाए गए विनियमों द्वारा], अपने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अपने अधिकारियों में किसी अधिकारी को, आयोग द्वारा या उसमें किए जाने वाले काम के साधारण अधीक्षण और निदेशन की अपनी शक्ति, जिसके अन्तर्गत आयोग के कार्यालय को चलाने और आन्तरिक प्रशासन के सम्बन्ध में उपगत व्यय के बारे में शक्तियां भी हैं, प्रत्यायोजित कर सकता है।

(2) उस धारा के अधीन कोई विनियम केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं बनाया जाएगा।]

1. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 6 द्वारा (1-10-1984 से) अन्तःस्थापित।
2. 1972 के अधिनियम सं० 33 की धारा 8 द्वारा (17-6-1972 से) अन्तःस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 7 द्वारा (1-10-1984 से) प्रतिस्थापित।

[1][**28. Laying of rules and regulations before Parliament**—Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the Validity of anything previously done under that rule or regulation.]

---

1. Ins. by Act 59 of 1984, s. 8 (w. e. f. 1-10-1984).

[1][28. **नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना**—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

---

1. 1984 के अधिनियम सं० 59 की धारा 8 द्वारा (1-10-1984 से) अंतःस्थापित

विक्रेता—(1) प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110 001

(2) प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइंस, दिल्ली-110 054